महत्वपूर्ण

संख्या-13/2016/1661/31-2016-21/2015

प्रेषक,

दीपक सिंघल,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,

1. आवास एवं शहरी नियोजन
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
3. सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स
4. चिकित्सा शिक्षा
5. वन
6. गृह
7. पर्यटन
8. लोक निर्माण
9. राज्य सम्पत्ति
10. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
11. माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, **लखनऊः** **दिनांकः 14जुलाई, 2016**

विषयः- शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु गठित प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप का पुर्नगठन एवं ग्रुप के अन्तर्गत योजनाएं सम्मिलित करने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-06/2015-1386/31-2015-21/2015 दिनांक 30 अप्रैल, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु 03 सदस्यीय प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप का गठन किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 11 जुलाई, 2016 को अवक्रमित करते हुए शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु पूर्व में गठित प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप का पुर्नगठन करते हुए अब निम्नानुसार 03 सदस्यीय प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप का गठन किया जाता हैः-

1. अध्यक्ष **मुख्य सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0**

2. सदस्य **प्रमुख सचिव, वित्त**

3. सदस्य/संयोजक **श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री**

पूर्व में जारी शासनादेशों के साथ प्रोजेक्ट मानिटरिंग ग्रुप में सम्मिलित की गई परियोजनाओं के अतिरिक्त निम्न परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप में सम्मिलित किया जाता हैः-

क्र0स0	परियोजना का नाम	नोडल विभाग
1.	जनपद बलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 से शिवपुर दियार-नम्बरी मार्ग के श्रीरामपुर घाट पर गंगा नदी पर सेतु का निर्माण	लोक निर्माण
2.	जनपद बलिया में चांदपुर के निकट घाघरा नदी पर सेतु का निर्माण	लोक निर्माण
3.	जनपद फिरोजाबाद में सुखीपुर ग्राम से बलाईघाट के मध्य यमुना नदी पर सेतु, पहुच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुच मार्ग का निर्माण	लोक निर्माण

3. उपरोक्त परियोजनाओं की गठित प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप द्वारा मासिक सघन समीक्षा की जाएगी तथा अद्यतन प्रगति से प्रत्येक माह मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा। कृपया सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अपने विभाग की परियोजनाओं का गहन अनुश्रवण करते हुए परियोजनाओं की मासिक तथा क्रमिक प्रगति से सदस्य/सहसंयोजक को प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

भवदीय,

(दीपक सिंघल)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-13/2016/1661(1)/31-2016-21/2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- श्री पार्थसारथी सेन शर्मा, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2016/1661(2)/31-2016-21/2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपिडा, गोमती नगर, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, मेट्रो, लखनऊ।
4- उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा/लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ/उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।
5- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, उ0प्र0।
7- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उपशा, उ0प्र0।
8- महानिदेशक, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in